तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/10/2023	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक-20/12/23 को पेश हो।
20/12/2023	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की तहसीलदार गिड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट में ~~अनु~~ अभिशाषा की गई की मौके पर बसी आबादी व राजस्व रेकर्ड में आबादी की कि गई तरमीम में भारी अन्तर है वर्तमान में मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे परिशिष्ट "अ" अनुसार तरमीम की गई है। जबकि मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार आबादी बसी हुई है परिशिष्ट "अ" अनुसार की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर परिशिष्ट "ब" अनुसार तरमीम शुद्ध किया जाना आवश्यक है जिस हेतु मौके रिपोर्ट पर सरपंच ग्राम पंचायत गिड़ा द्वारा भी अपने हस्ताक्षर किये जाकर तरमीम शुद्ध किये जाने हेतु सहमती जाहिर की गई इसलिए प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाकर पूर्व की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का आदेश किया जावे। हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व

सहायक कलक्टर (DDO)
बायतु
बाड़मेर

क्रम व हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेकर्ड का अवलोकन किया तथा तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर भी मनन किया गया, बाद अवलोकन पाया कि पूर्व में की गई तरमीम के स्थान पर तरमीम शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाने का आदेश किया जाता है। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली मौसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 20.12.2021 सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / राजस्व / 2023 / 301 दिनांकः– 19/07/23

प्रेषित :–

तहसीलदार,
गिड़ा।

विषयः– मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री कानाराम पुत्र अचलाराम वगैरा जाति जाट निवासी गिड़ा के द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि मौजा गिड़ा पटवार हल्का गिड़ा तहसील गिड़ा के खसरा नम्बर 373/103 रकबा 2.4281 हैक्टेयर में आई हुई है। प्रार्थीगण की मौजा जो जमीन राजस्व रैकर्ड मे विप्रार्थीगण संख्या 2 ग्राम पंचायत गिड़ा के नाम से दर्ज है विप्रार्थीगण संख्या 2 द्वारा जहा प्रार्थीगण का कब्जा है वहा पर पट्टे जारी किये और प्रार्थीगण द्वारा अपने रहवासी मकान बनाए। वर्तमान में तहसील का ऑनलाइन (सेग्रीगेशन) करते वक्त पुरानी सही तरमीम को गलत कर दिया है जिसे दुरूस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

अतः आपको कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आप उक्त मौके पर जाकर मौजा गिड़ा पटवार हल्का गिड़ा तहसील गिड़ा के खसरा नम्बर 373/103 रकबा 2.4281 हैक्टेयर की मौका रिपोर्ट तैयार कर उक्त खसरे के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित आगामी पेशी तारीख 16.08.23 इस कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करावें ताकि उक्त प्रकरण में आगे की कार्यवाही की जा सके।

सहायक कलक्टर
(प्रमोद कुमार) (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी, बायतु